

## प्रेस विज्ञप्ति

जनपद:- बस्ती

दिनांक:- 01.10.2020

**SOG व थाना हरैया पुलिस द्वारा अवैध जहरीली शराब बनाने व बेचने वाले गिरोह के 04 सदस्य अवैध तमंचा ,कारतूस व दो अदद वाहन के साथ गिरफ्तार, कुल 1450 लीटर रेक्ट्रीफाइड स्प्रिट/निर्मित अपमिश्रित शराब (कीमत करीब 12,50,000/- रुपये) बरामद।**

पुलिस अधीक्षक बस्ती श्री हेमराज मीना के आदेश के क्रम में जनपद बस्ती में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत अपर पुलिस अधीक्षक बस्ती श्री रवीन्द्र कुमार सिंह के निर्देशन में तथा क्षेत्राधिकारी हरैया श्री शेषमणि उपाध्याय के पर्यवेक्षण में प्रभारी SOG निरीक्षक राजेश मिश्र व थानाध्यक्ष हरैया सर्वेश राय की संयुक्त टीम के कार्यवाही में मुखबिर की सूचना पर आज दिनांक:-01.10.2020 को निकट संसारीपुर चौराहा बहद ग्राम महादेवरी थाना हरैया जनपद बस्ती से अवैध जहरीली शराब बनाने व बेचने वाले गिरोह के 04 सदस्यों को अवैध तमंचा ,कारतूस व दो अदद वाहन के साथ गिरफ्तार किया गया ।

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में थाना हरैया पर मु0अ0सं0 248/2020 धारा 419,420,467,468,471,272 IPC व 60/62 Ex Act व मु0अ0सं0 249/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

**गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-**

- 1.डब्लू सोनी उर्फ MGR पुत्र श्रीराम सोनी सा0 धर्मसिंहपुर महाराजगंज थाना कप्तानगंज जनपद बस्ती ।
- 2.मनोज उपाध्याय पुत्र रमाकान्त उपाध्याय सा0 उभाई थाना दुबौलिया जनपद बस्ती ।
- 3.विजय कुमार गुप्ता उर्फ भोला पुत्र राम बुझागर सा0 तेलियाडीह थाना कप्तानगंज जनपद बस्ती ।
- 4.अशोक कुमार पुत्र सन्तराम सा0 समौड़ा कला थाना हरैया जनपद बस्ती ।

**बरामदगी का विवरण:-**

1. 05 ड्रम में रेक्ट्रीफाइड स्प्रिट कुल 1150 लीटर
2. 4 जरिकैन में रेक्ट्रीफाइड स्प्रिट 200 लीटर
3. 02 जरिकैन में रेक्ट्रीफाइड स्प्रिट निर्मित अपमिश्रित शराब करीब 100 लीटर
4. 01 अदद तमंचा 315 बोर व 02 अदद कारतूस
5. एक अदद पिकप गाडी UP-51-AT-2557 (कूट रचित नम्बर UP-51-AT-3857)
6. एक अदद मोटर साइकिल UP-51-V-4790 ( कूट रचित नम्बर UP-51-V-8890)
7. नगद 950 रूपया

**पूछताछ का विवरण:-**

गिरफ्तार अभियुक्त डब्लू सोनी व मनोज उपाध्याय द्वारा पूछताछ में बताया गया कि हम लोगो का एक गैंग है । हम फुटहिया के पास स्थित ढाबा से संसारीपुर तक रात में पिकप गाडी से घूमकर ढाबो पर खडे होने वाले टैंकर जो रेक्ट्रीफाइड स्प्रिट लेकर जाते है के चालको से बात चीत कर उनसे प्रत्येक टैंकर 100 से 200 लीटर कर स्प्रिट चोरी से खरीदते है । हमारे गैंग में दो और साथी है जो महाराजगंज में पिकप लेकर इंतजार कर रहे है हम उसी पिकप गाडी से रात में घूमकर /पुलिस से लुपछिप कर अपने व अपने गैंग के सदस्यों के आर्थिक भौतिक एवं दुनियाबी लाभ हेतु विभिन्न चीनी मिलो से रेक्ट्रीफाइड स्प्रिट लेकर जाने वाले टैंकर से स्प्रिट प्राप्त करते है तथा उसे जरिकैन में रखकर तथा उससे शराब बनाकर बेचते है । यह जो जरिकैन में तरल पदार्थ है यह स्प्रिट से निर्मित शराब है इसे हम ग्राम बेलाड़े शुक्ल में एक महिला को देने के लिए जा रहे थे कि आप लोगो द्वारा पकड लिया गया ।अभियुक्त द्वारा बताया गया हम लोग शराब बनाने के बाद पिकप गाडी से तथा मोटर साइकिल से रात में घूम-घूम कर अपने ग्राहको को उपलब्ध कराते है हमारे दो अन्य साथी पिकप लेकर महाराजगंज में मौजूद है । उक्त पिकप पर भी कुछ माल है जिसे ले जाकर बेचना है । अभियुक्त डब्लू सोनी व मनोज उपाध्याय हाइवे पर महाराजगंज पुल आड में खड़ी पिकप की तरफ इशारा करके बताये कि यही वह गाडी है तथा हमारे दोनो साथी गाडी में ही मौजूद है दोनो को गाडी में ही पकड़ लिया गया । हम लोग गाडीयो के नम्बर छिपा कर तथा बदल कर अपनी

व अपने गाड़ी की पहचान को छिपा कर नम्बर प्लेट बदल कर कूट रचित नम्बर प्लेट लगा कर सामान पहुँचाते है। हम लोगो ने अधिक मुनाफा कमाने की लालच में यह काम किया है।

**आपराधिक इतिहास:-**

**अभियुक्त विजय कुमार गुप्ता उर्फ भोला**

1. मु0अ0सं0 609/14 धारा 60 Ex Act थाना कप्तानगंज जनपद बस्ती।
2. मु0अ0सं0 199/14 धारा 60 Ex Act थाना कप्तानगंज जनपद बस्ती।
3. मु0अ0सं0 271/16 धारा 60 Ex Act थाना कप्तानगंज जनपद बस्ती।
4. मु0अ0सं0 304/15 धारा 60 Ex Act व 272 IPC थाना कप्तानगंज जनपद बस्ती।
5. मु0अ0सं0 1645/14 धारा 110 Crpc थाना कप्तानगंज जनपद बस्ती।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-**

1. प्रभारी SOG निरीक्षक श्री राजेश मिश्र।
2. थानाध्यक्ष हरैया श्री सर्वेश राय।
3. उ0नि0 सुरेश यादव थाना हरैया जनपद बस्ती।
4. का0 अजय कुमार यादव, का0 राम सुरेश यादव, का0 आदित्य पाण्डेय, का0 बुद्धेश कुमार SOG टीम जनपद बस्ती।
5. का0 कामरान खान, का0 शिवम कुमार, का0 रवि निषाद थाना हरैया जनपद बस्ती।